न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—76/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/76)

1. पेमा पुत्र पूरा
2. बरदी पत्नि पेमा

दोनों जाति रावत निवासी ग्राम रामपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राम सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति रावत निवासी रामपुरा ग्राम पंचायत मानपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

3. नोसर पुत्र पूरा
4. रतना पुत्र पूरा
5. रामा पुत्र पूरा
6. प्रभु पुत्र पूरा

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम रामपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 18.01.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला ब्यावर राजस्व वाद संख्या 60/2022(2022/200)

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिपेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री अहजाज अहमद अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6

निर्णय

दिनांकः—21.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2022(2022/200) में पारित आदेश दिनांक 18.01.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया। उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को नोटिस जारी किए गए तथा गैर सायलान की ओर से दिनांक 26.8.2022 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं जवाब हेतु समय चाहा गया तथा तहसीलदार, मसूदा से रिपोर्ट चाही गई दिनांक 26.8.2022 के पश्चात कभी भी अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी पेशी पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पीठासीन अधिकारी के बिराजमान होने का कोई अंकन नहीं है अर्थात हर पेशी पर अन्य कार्य अथवा चुनाव कार्य अंकित करते हुए पेशी दी गई एवं अतः दिनांक 18.1.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम बार न्यायालय में बैठते हुए जवाब बंद करते हुए बहस सुन कर उसी दिन निर्णय पारित कर दिया तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 को रास्ता दिए जाने बाबत आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2022 (2022/200) में पारित आदेश दिनांक 18.01.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मसूदा द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.8.2022 को यह अंकित किया है कि उपरोक्त खसरा नम्बर के आवागमन हेतु निम्न बिन्दूओं पर तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करे एवं प्रस्तुत करे जिसमें यह अंकित किया गया कि सायल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 218 में आने जाने का कोई रास्ता है अथवा नहीं पूर्ण विवरण दे तथा खसरा नम्बर 218 में आने जाने हेतु किस रास्ते का उपयोग करता है तथा यह भी अंकित किया कि क्या खसरा नम्बर 288 व 276 के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग जो सडक अथवा मुख्य मार्ग तक पहुंचने में आसान हो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा खसरा नम्बर 218 से मुख्य सडक/ मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु कौन कौन से खसरा नम्बर आते है तथा यह भी अंकित किया कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तेयार कर भिजवाये तथा एक अन्य रिपोर्ट भी दिनांक 28.12.2023 की इसी बाबत है की खसरा नम्बर 218 के आवागमन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करे- जिसमें भी कुछ इसी प्रकार के बिन्दू निर्धारित करते हुए तहसीलदार से स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कथन किया किन्तु उसके बावजूद भी तहसीलदार ने स्वयं मौके पर जाकर कोई रिपोर्ट ना तो बनाई ना प्रस्तुत की इसलिए स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की कोई पालना नहीं की बल्कि तथाकथित रूप से अन्य लोगों से बनवाई हुई रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक खरवा द्वारा तहसीलदार को भिजवाई गई रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 218 में आने जाने हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है तथा वर्तमान में सायल खसरा नम्बर 266, 268, 269, 270, 265 271, 272, 273, 274, 275, 220 व 219 की मेड पर होकर आता जाता है परन्तु उपरोक्त कथन अथवा उपरोक्त रास्ता स्वयं प्रार्थी सायल ने भी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित ही नहीं किए ओर ना ही यह अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 218 में आने जाने हेतु संभावित वैकल्पिक रास्ते कौन कौन से हो सकते है तथा उनकी दूरी कितनी कितनी हो सकती है ऐसा कहीं पर भी उपरोक्त मौका रिपोर्ट में अंकन नहीं है। उनके समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में बिन्दू संख्या 4 में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने बाबत खसरा नम्बर 275, 276,288,289, व 286 की भूमि आती है परन्तु अन्य खसरा नम्बरान जो कि प्रार्थना पत्र में अकित नहीं है उनके बाबत कोई स्पष्ट कारण ना तो लिखा गया है ना ही कोई प्रस्तावित रास्ते के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बाबत कोई अलग अलग रिपोर्ट दी गई है बल्कि अविधिक अस्पष्ट मौका रिपोर्ट को पूर्ण रूप से सही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। खसरा नम्बर 218 के खातेदार राम सिंह पुत्र भंवर सिंह व सुमित्रा रावत पत्नि सांवर सिंह है किन्तु सुमित्रा रावत को भी जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया ओर ना ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट की उपस्थिति में बनाई गई बल्कि ऐसा प्रतित होता है कि मौके पर जाए बिना ही वास्तविक स्थिति एंव भौतिक स्थिति के विपरित जाकर रिपोर्ट तैयार की गई एवं उसे ही आधार मान कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। यदि मौका रिपोर्ट सही रूप से बनाई जाती तो यह स्पष्ट आ जाता की खसरा नम्बर 287 से सीधा रास्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 के खेत में जाने का है किन्तु उसे जानबूझ कर ना तो सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया ना ही रिपोर्ट में दर्शाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में दो खसरा नम्बरान में से रास्ता दिए जाने का कथन किया था किंतु हल्का पटवारी द्वारा मनमाने तौर पर 5 खसरा नम्बरों में से रास्ता दिए जाने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे ही अधीनस्थ न्यायालय ने सही मान कर एक ही पेशी पर निर्णय पारित कर दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2022(2022/200) में पारित आदेश दिनांक 18.01.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2021(2)डी0एन0जे0 (रेवे0) पेज 763, 2022(2)डी0एन0जे0 (रेवे0) पेज 1368,

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का सबलपुरा तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 218 रकबा 0.2427 की भूमि स्थित जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है, जिन भूमि पर प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता सदियों से खसरा नंबर 288 व 276 में से रहा है तथा उक्त खसरान में आने जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है और ना ही विद्यमान है तथा प्रार्थी के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्ते के विषय में राजकीय दरो से डीएलसी राशि का भुगतान करने के लिये तैयार है। प्रार्थी ने उक्त रास्ता दिये जाने बाबत तहसीलदार से दिनांक 15.6.2022 को निवेदन किया तो उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की इसलिये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु खसरा नंबर 288, 276 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप कि आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित है। दिनांक 1.7.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 26.8.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण में अपना वकालतनामा पेश किया व जवाब हेतु समय चाहा। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक में नियत रही। दिनांक 18.1.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने जवाब पेश नहीं किए जाने से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के जवाब बंद किए गए। प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 12.1.2024 के अवलोकन से यह पाया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 218 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी खसरा नम्बर 266, 268, 269, 270, 265, 271, 272, 273, 274, 275, 220, 219 की मेड पर होकर आता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु आसान नजदीक व सुविधाजनक रास्ता खसरा नम्बर 275, 276, 288, 289 की मेड से होकर रहेगा। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाने बाबत खसरा नम्बर 275 का 0.0182 है0, खसरा नम्बर 286 का 0.0030 है0, खसरा नम्बर 276 का 0.0126 है0, खसरा नम्बर 288 का 0.0277 है0, खसरा नम्बर 289 का 0.0277 है0 रकबा प्रभावित होगा।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व आई0एल0आर और पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 12.1.2024 से स्पष्ट है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 218 रकबा 0.2427 है0 में आने जाने व काश्त करने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए रास्ते खसरा नम्बर 275 का 0.0182 है0, खसरा नम्बर 286 का 0.0030 है0, खसरा नम्बर 276 का 0.0126 है0, खसरा नम्बर 288 का 0.0277 है0, खसरा नम्बर 289 का 0.0277 है0 के अलावा कोई सुलभ व लघुत्तम रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि मौजा रामपुरा पटवार हल्का सबलपुर तहसील मसूदा के खसरा नम्बर 218 रकबा 0.2427 में आने जाने के लिए चाहा गया रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै0मु0 रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए है। इस बाबत अपीलांट द्वारा कहे गए कथन कि उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा नहीं बनाई गई है व उक्त मौका रिपोर्ट तथाकथित लोगों द्वारा बनाई गई है। यह कथन मिथ्या है क्यों कि उक्त मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकार अधिनियम के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की पालना करते हुए पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था व अपीलांट ने उक्त भूमि का क्रय रेस्पोडेंट से ही किया है। अपीलांट द्वारा विक्रय दस्तावेज की प्रति भी प्रस्तुत की है उसमें भी उक्त भूमि तक कच्चा रास्ता होना बताया है।

अतः अपीलांट को प्रकरण की जानकारी थी तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

विधिसम्मत है क्योंकि वर्तमान रेस्पोडेंट के निकटतम व सही रास्ता आसजी खसरा नम्बर 275 का 0.0182 है0, खसरा नम्बर 286 का 0.0030 है0, खसरा नम्बर 276 का 0.0126 है0, खसरा नम्बर 288 का 0.0277 है0, खसरा नम्बर 289 का 0.0277 है0 में से ही है चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। दिनांक 12.1.2024 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारों के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गयी उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के उपरांत ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ता कायमी के आदेश दिए गए है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है व अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 अपील खारिज किए जाने से सारहीन होकर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2022(2022/200) में पारित आदेश दिनांक 18.01.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

21/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner